मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 685(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

In the said notification,-

- (i) सारणी में, क्रम सं. 2 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक "माल वाहक अभिकरण (जीटीए)" के पश्चात शब्द और अक्षर ", जिसने 12 प्रतिशत की दर से एकीकृत कर का भुगतान नहीं किया है," अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पाश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा—
  - "(ड़) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.िन. 685(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2017

#### No. 22/2017-Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 1051(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

- (i) in the Table, against serial number 2, in column (2), after the words and brackets "goods transport agency (GTA)" the words and figure, "who has not paid integrated tax at the rate of 12%," shall be inserted;
- (ii) in the Explanation, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-
  - "(e) A "Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm."

[F. No. 354/173/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 10/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

# सं. 23/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1052(अ).— केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (5) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतदृद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 14/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 689(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा;—

"(iii) हाउस कीपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि पलंबिंग, कारपेंटरिंग आदि, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के खंड (v), के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।"।

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 14/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.िन. 689(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2017

#### No. 23/2017-Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 1052(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 689(E) dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under clause (v) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 22 of the said Central Goods and Services Tax Act."

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 14/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, *vide* number G.S.R. 689(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017.

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 22 अगस्त. 2017

### सं. 20/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 1053(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 21 के खंड (iv) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून,